सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 21/2017 अपील
पंजीयन दिनांक– 21–04–2017
निर्णय दिनांक – 22–01–2018

1. श्री मोतीलाल पिता मगनीराम जी दर्जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती शंकरी बाई पिता श्री तुलसीराम जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री शंकरलाल पिता श्री पन्नालाल जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री लालुराम पिता श्री नारायण लाल जी दर्जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री मुकेश पिता श्री नारायण लाल जी दर्जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री गजेन्द्र पिता श्री नारायण लाल जी दर्जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री तेजराम पिता श्री पन्नालाल जी, निवासी गुड़ली, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

–रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–

1– श्री नरपतसिंह – अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2– श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा दिनांक 22.02.2017 प्रकरण संख्या 45/2012.

निर्णय

दिनांक 22.01.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा के निर्णय दिनांक 22.02.2017 प्रकरण संख्या 45/2012 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गुड़ली, तहसील गिर्वा के साबिक आराजी नम्बर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि सम्वत् 2025 से 2028 तक की जमाबंदी में तुलसीराम, श्री पन्नालाल, श्री मगनीराम पिता भीमा दर्जी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। दौराने सेटलमेन्ट तात्कालिक कर्मचारियों की गलती से अपीलान्ट्स के साबिक आराजी नं. 1634/2 मे 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का कुल क्षैत्रफल 1.1988 हैक्टयर होता है, जबकि अपीलान्ट्स के खाते में 0.5200 है0 भूमि ही दर्ज की गई । गलती से अपीलान्ट्स के खाते में 0.6788 है0 भूमि कम दर्ज की गई। दौराने सैटलमेन्ट में हुए कमी रकबा को दुरस्त किये जाने हेतु अपीलान्ट्स ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होना मानकर आदेश दिनांक 22.02.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह प्रथम अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि दौराने सैटलमेन्ट तात्कालिक कर्मचारियों ने गलती से अपीलान्ट्स के खाते में वर्तमान आराजी नम्बर 5020 रकबवा 0.0850 है0, आ.नं. 5021 रकबा 0.0300 है0, आ.नं. 5022 रकबा 0.0850 है0, आ.नं.5023 रकबा 0.1250 है0, आराजी नं. 5024 रकबा 0.1950 है0 कुल किता– 5 रकबा 0.5200 है0 भूमि अपीलान्ट्स के खाते दर्ज कर दी शेष रकबे को आराजी नम्बर 5014, 5034, 5036, 5015, 5031 व 5032 में मिला दिया

जिसका कुल रकबवा 1.1350 है0 बनता है व इसी आराजी का शेष रकबा 0.0638 है0 वर्तमान आराजी नम्बर 5037 में मिला रास्ता कायम कर दिया व भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर आराजी नम्बर 5014, 5034, 5036, 5015, 5031, 5032 और 5036 में मिला दी गई । वर्तमान आराजी नम्बर 5014, 5015, 5031, 5032 रकबा 0.4450 है0, आराजी नं. 5034 रकबा 0.0100 है0 एवं आराजी नं. 5036 में रकबा 0.1000 है0 में मिला दिया गया व बिलानाम सरकार दर्ज कर दी। जबकि तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें स्पष्ट रुप से अंकित किया गया कि साबिक आराजी नम्बर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि हाल आराजी नं. 5020 से 5024 तक कुल रकबा 0.5200 है0 भूमि अपीलान्ट्स के खाते दर्ज की व हाल आराजी नम्बर 5014, 5015, 5031, 5032, 5034 एवं 5036 कुल रकबा 0.6150 है0 भूमि बिलानाम दर्ज हुई है जो साबिक अनुसार कम दर्ज है। कम दर्ज रकबा 0.6150 है0 जमाबन्दी 2017 से 2020 व सम्वत् 2028 तक अपीलान्ट्स के खातेदारी में रही थी। दौराने सैटलमेन्ट में हुई गलती को सही किये जाने का प्रावधान धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश विधि संम्मत नहीं होने से अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट्स को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 22.02.2017 को निरस्त फरमाये जाने का कथन किया।

विद्वान राज्य अभिभाषक ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्य के आधारों को देखते हुए एवं मौका रिपोर्ट सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जांच कर प्रकरण के गुणावगुण एवं कानून के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, जो सही है। क्योंकि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, जबकि प्रार्थना पत्र धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिससे अपीलान्ट द्वारा 136 के तहत खातेदारी घोषणा की दाद प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। यह तथ्य सही है कि साबिक

आराजी नम्बर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि हाल आराजी नं. 5020 से 5024 तक कुल रकबा 0.5200 है0 भूमि अपीलान्ट्स के खाते दर्ज की व हाल आराजी नम्बर 5014, 5015, 5031, 5032, 5034 एवं 5036 कुल रकबा 0.6150 है0 भूमि बिलानाम दर्ज हुई है जो साबिक अनुसार कम दर्ज है। कम दर्ज रकबा 0.6150 है0 जमाबन्दी 2017 से 2020 व सम्वत् 2028 तक अपीलान्ट्स के खातेदारी में रही थी। दौराने सैटलमेन्ट में हुई गलती को सही किये जाने का प्रावधान धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत गलत हुए इन्द्राज को सही करने के अधिकार उपखण्ड़ अधिकारियों को प्राप्त है। राज्य अभिभाषक का यह कथन है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, जबकि प्रार्थना पत्र धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिससे अपीलान्ट द्वारा 136 के तहत खातेदारी घोषणा की दाद प्राप्त नहीं कर सकता है। परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही अनुतोष चाहा गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गिर्वा से रिपोर्ट प्राप्त की गई है, रिपोर्ट में भी रकबा 0.6150 हैक्टयर कमी रकबा दर्ज होना स्पष्ट अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को पुनः धारा 136 के तहत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पुनः सुनवाई की जाकर एक माह में विधिवत् निर्णय पारित करे।

(भवानी सिंह देथा)
सभांगीय आयुक्त
उदयपुर